रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14 2012, शनिवार/पौष 18−पौष 24, 1933

No. 1] NEW DELHI, JANUARY 8—JANUARY 14, 2012, SATURDAY/PAUSA 18—PAUSA 24, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2012

का.नि.आ. 01.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह ख (गैर-तकनीकी) पद भर्ती नियम, 2001, को जहाँ तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पद (सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम 2000, को जहाँ तक उनका संबध सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में, कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' कार्यालय अधीक्षक (गैर-तकनीकी) पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कार्यालय अधीक्षक	278*(2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और (ग्रेड वेतन 4200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू. और ग्रेड वेतन 2400 रू. में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक,जिसने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है ।

(12)
टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
प्रोन्नति के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :– 1. अपर महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. प्रशासन निदेशालय से संयुक्त निदेशक —सदस्य 3. किसी तकनीकी निदेशालय से निदेशक/संयुक्त निदेशक —सदस्य 4. उप-निदेशक (प्रशासन-10) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए./86320/आर आर/ओ एस/डी जी क्यू ए/प्रशा-10/2857/डी/(क्यू ए)/2011]

सुभाष चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 11th January, 2012

S. R. O. 01.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in the supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General of Quality Assurance Group 'B' (Non-Technical) Posts Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the post of Office Superintendent and the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General of Quality Assurance Group 'C' Non-Technical Posts (Assistant, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the post of Assistant, except as things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence Department of Defence Production and Supplies, Directorate General of Quality Assurance Group 'B' Office Superintendent (Non-Technical) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment , age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay orScale	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Office Superint-endent	278* (2012) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted Ministerial	PB-2 Rs. 9300—34800 and (Gr. pay Rs. 4200)	Selection	Not applicable	Not applicable \

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two Years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by made various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be
(11)	(12)
100 Percent Promotion	Promotion : Upper Division Clerk in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 and Grade

	(12)
	Pay of Rs. 2400 having 10 years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for Promotion (i) Aditional Director General Quality Assurance (Administration) —Chairman (ii) Joint Director from Administration Directorate —Member (iii) Director/Joint Director from any Technical Directorate —Member (iv) Deputy Director (Administration-10) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[F. No. A/86320/RR/OS/DGQA/Adm-10/2857/D(QA)/2011]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.